10 COURT FEE INDIA भारत दस रुपये TEN RUPEES

रद्द किया

83

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल, ग्वालियर (कैंप सागर)

A 1013-I/07

1- भगत पिता सरजू अहीर, आयु करीब 40 वर्ष
निवासी – गुमानगंज, तह. अजयगढ़, जिला पन्ना .... अपीलार्थी

विरुद्ध

म.प्र. शासन .... प्रतिअपीलार्थी

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर 1901 13.6.07

अपील अंतर्गत धारा 44 म.प्र. भू. राजस्व संहिता

अपीलार्थी निम्नलिखित प्रार्थना करता है –

क्रमांक RP815
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 15-6-07 को प्राप्त
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

अपीलार्थी अति. कमिश्नर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/अपील/अ–19/01–02 में पारित आदेश दिनांक 12.3.07 के विरुद्ध श्रीमान् के समक्ष यह अपील प्रस्तुत है।

संक्षिप्त तथ्य –

37
7.6.07

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नायब तहसीलदार अजयगढ़ ने रा. प्र. 115/अ–19 वर्ष 90–91 में पारित आदेश दिनांक 5.2.91 द्वारा ग्राम गुमानगंज तह. अजयगढ़ स्थित शासकीय आराजी ख. क्र. 1276 रकबा 1–80 हे. भूमि का व्यवस्थापन अपीलार्थी के पक्ष में म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामीधारियों को प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध अधि. 1984) उसके पश्चात अधिनियम कहा जावेगा, के अंतर्गत किया गया लगभग 9 वर्ष पश्चात शिकायत होने पर स्वमेव निगरानी में लिया गया तथा श्रीमान् कलेक्टर महोदय, ने एकपक्षीय आदेश दिनांक 30.8.2001 को पारित कर व्यवस्थापन आदेश पारित कर दिया। कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध अति. कमिश्नर सागर के न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की गयी थी परंतु अति. कमिश्नर सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 157/अ–19/2001–02 में दिनांक 12.3.2007 को आदेश पारित कर अपीलार्थी की अपील निरस्त कर दी। इस कारण से श्रीमान् के समक्ष यह अपील प्रस्तुत है।

1– यह कि श्रीमान् कलेक्टर महोदय द्वारा प्रकरण स्वमेव निगरानी में करीब 10 साल बाद लिया गया दस साल तक किसी भी ग्रामवासी को कोई आपत्ति नहीं थी परंतु कलेक्टर महोदय द्वारा इन बातों पर ध्यान न देकर दिनांक 30.8.2001 को विधि के प्रतिकूल आदेश पारित किया है तथा अति. कमिश्नर सागर द्वारा कलेक्टर के आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया

राजेश पांडे
एड.

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग.1013/I 07 जिला पन्ना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-3-16	1— आवदक के अधिवक्ता अजय श्रीवास्तव उपस्थित अनावेदक शासन पक्ष की ओर से पेनल अधिवक्ता उपस्थित उभयपक्ष अधिवक्तागणों के तर्क सुने। 2— मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर म0प्र0 के प्रकरण क्रमांक 157 /अपील/अ–19/2001–02 मे पारित आदेश दिनांक 12/03/2007 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–44 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है। जिसमें आवेदक द्वारा अपील को निगरानी के तहत मान्य किए जाने बावत् आवेदन प्रस्तुत कर निराकरण हेतु प्रार्थना की है। 3— आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम गुमानगंज तहसील अजयगढ़ की भूमि ख0क्र0 1276 रकवा 1.80 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 30 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में आवेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार अजयगढ़ के प्रकरण क्रमांक 115/अ–19/1990–91 आदेश दिनांक 05/02/1991 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय कलेक्टर पन्ना द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। जिसकी निगरानी अपर आयुक्त सागर द्वारा निरस्त की गई है इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी/अपील प्रस्तुत की गई है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग	

R 1013-II/07 (पन्ना)

2

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	15–20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी. –44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। कलेक्टर पन्ना द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1991 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2001 में प्रारंभ की गई है। प्रस्तुत खसरा में आवेदक का कब्जा दर्ज ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में कलेक्टर पन्ना एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/08/2001 एवं अपर आयुक्त सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12/03/2007 निरस्त किये जाते है तथा नायब तहसीलदार अजय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05/02/1991 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	